ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ.ਸਿ./ਐ.ਸਿ.) ਪੰਜਾਬ।

ਮੀਮੋ ਨੰ: 15 | 7-2017 ਸੀ ਗ(2) | 2020 | 75 990 ਮਿਤੀ: 28 | 7 | 2020

ਵਿਸ਼ਾ:- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਜੀਵਨ ਰਕਸ਼ਾ ਪਦਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ।

1.0 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

2.0 ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ (ਰਾਜਨੀਤੀ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਕਤ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 25.08.2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

> ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਤੀ: 28/7/2020

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 2020175991

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ

ਨੱਥੀ: ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ।

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿਲਤੇ ਵਿੱਚ Under Secretary

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

- 1. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
- 2. ਸਕੱਤਰ / ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ,ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ।

ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

NO.GAD-POLOJRP/2/2020-4Pol.1/E50377/222 ਮਿਤੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 30/06/2020

ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਹਿ-ਪੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
Under Secretary

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

- 1. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼।
- 2. ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
- ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
- 4. ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣ।
- 5. ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਣ।

NO.GAD-POLOJRP/2/2020-4Pol.1/E50377/ਬ੍ਰੇਡ੍ਰਤ ਮਿਤੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 30/06/ਕ੍ਰਿਹਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ,ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ , ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ , ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Under Secretary

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਹਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ,ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। NO.GAD-POLOJRP/2/2020-4Pol.1/E50377/ਨ੍ਹਾਂਪ੍ਰ ਮਿਤੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 30/06/੨੦੨੦

MOST IMMEDIATE

No.17/1/2020-Public Government of India/Bharat Sarkar Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya



-3 -

North Block, New Delhi-110 001 Dated the 29th April, 2020.

0 4 APR 2020

- 1. The Chief Secretaries of all State Governments
- 2. The Administrators of all UT Administrations
- 3. The Secretaries of all Ministries/Departments of the Govt. of India
- 4. The Directors General of all Central Armed Police Forces
- 5. The Director General, Railway Protection Force
- 6. The Director General, National Disaster Response Force
- 7. The Director General, Civil Defence & Home Guards

Sub: Recommendations for Jeevan Raksha Padak series of awards-2020.

Sir/Madam,

Jeevan Raksha Padak series of awards are given for meritorious acts of humane nature in saving the life of a person in incidents like drowning, accidents, fire incidents, electrocution, land slides, animal attack and rescue operation in mines etc.

As the name of the award suggests, the award is given to a rescuer for saving someone's life. It is given in the following three categories:-

Sarvottam Jeevan Raksha Padak - awarded for conspicuous courage in saving life under circumstances of very great danger to the life of the rescuer.

ii) Uttam Jeevan Raksha Padak - awarded for courage and promptitude in saving life under circumstances of great danger to the life of the rescuer.

iii) Jeevan Raksha Padak - awarded for courage and promptitude in saving life under circumstances of grave bodily injury to the rescuer.

- 2. Persons of either sex in all walks of life are eligible for these awards. Members of the Armed Forces, Police Forces and of recognized Fire Service etc. are also eligible for these awards provided the life saving act is performed by them otherwise than in the course of their duty. The award is also conferred posthumously.
- 3. Every year, the Ministry of Home Affairs invites recommendations from all State Governments/UT Administrations and Ministries/Departments of the Government of India for these awards. The recommendations are examined by a high-level Awards Committee, which makes its recommendations to the Prime Minister and the President.
- 4. After approval of the President, the decoration of the award, i.e., Medal and Certificate along with the Cheque of monetary allowance in respect of the awardees, are sent to the concerned recommending authorities.

- 5. Over the last few years, it has been observed that various acts of life saving by individuals during natural calamities, accidents, extremists attack, drowning/fire incidents etc. are reported in the print and electronic media. However, such valiant and gallant acts go unrecognized in the absence of suitable nominations by the State/UT Government and authorities under whose jurisdiction such acts take place. You would appreciate that awards and decorations are tangible tokens of recognition of the services rendered by an individual. Such awards encourage and motivate others for similar action in the hour of need. The concerned authorities are, therefore, requested to send suitable and deserving nominations to this Ministry for consideration.
- 6. The recommendations for the awards are to be forwarded in the enclosed revised proforma (Annexure-I). As you would notice from the proforma, in addition to the bio-data, a citation in narrative form, clearly bringing out the sequence-wise details of the incident as well as the specific role/contribution of the person (rescuer) is to be forwarded in each case. A character and antecedents verification certificate is also required to be furnished in each case in the enclosed revised proforma (Annexure-II). It may be noted that the recommendations for this award are considered by Awards Committee within a period of two years from the date of performance of the gallant act. Therefore, for the year 2020, any recommendation in respect of which the date of performance of the act falls prior to 1st October 2018 should not be forwarded to this Ministry for consideration.
- 7. The recommendations for the Jeevan Raksha Padak series of Awards can also be sent through the online portal designed by Ministry of Home Affairs, (URL: www.jrp.mha.gov.in). The recommendations should contain all relevant details specified in the format available on the above said website, including a citation in narrative form (maximum 200 words), clearly bringing out the sequence-wise details of the incident as well as the specific role/contribution of the person (rescuer).
- 8. A character and antecedent verification certificate duly signed and stamped by the recommending authority may be scanned and uploaded on the portal. While recommending a person online, please make sure that all the necessary details including name of the recommended person in Hindi are filled properly. Name of the recommended person in Hindi can be filled using Google Hindi Translator.
- 9. It may be noted that the recommendations for Jeevan Raksha Padak series of awards for the year 2020 are to be sent latest by 30th September 2020. For online recommendations a user login I.D. and Password of each recommending authority will be created. You are therefore, requested to send an email from your official email I.D. to sopub@nic.in in order to get your Login I.D. and Password through email. However, the recommending authorities who have already got login I.D. and Password may use the same login I.D. and Password while sending online recommendations for the year 2020.

Yours faithfully,

Encls. A/a

(Deepak Kumar) (Deepak Kumar) (Public)
Tele: 2309 2421

PROFORMA FOR RECOMMENDATION OF JEEVAN RAKSHA PADAK SERIES OF AWARDS

1.	Full Name in English (in Block letters)	:	
2	E.H		
2.	Full name in Hindi (Compulsory)	:	
3.	Fother/Hushend/Country 2		
э.	Father/Husband/Guardian's Name		
4.	Date of Birth/Age	:	
5.	Gender	:	Male/Female
6.	Complete sectal address (with 1		
0.	Complete postal address (with phone numbers etc.)	:	
7.	Whether recommendation is for Posthumous	:	Yes/No
	award?		
			*
8.	Name of the Next-of-kin along with relationship (in		
0.	case of Posthumous award)	:	
	ouse of Fosimumous award)		
9.	Date of incident	:	
20			
	Note: The life saving act prior to 01/10/2018 will		
	not be considered.		
10.	Number of lives saved.		
	realiser of fives saved.		
11.	Whether the recommended person is a member of	-	
	the Uniformed Services (Armed Forces, Police		
	Forces and of recognized Fire Services etc.)?		-
12.	1944		
12.	saving act was performed	:	
	during the course of duty or otherwise?		1

13	Whether the life saving act was an individual effort or a team work? Whether any injury was suffered by the rescurer	:	Yes/No
	during the life saving act?		
15	If yes, Details of injury suffered by the rescurer?		
16.	Award recommended* viz. Sarvottam Jeevan Raksha Padak (SJRP) / Uttam Jeevan Raksha Padak (UJRP) / Jeevan Raksha Padak (JRP)		
17.	Whether the candidate has been awarded or being considered or eligible for any other award for the same life saving act? Please give the details, if any.		
18.	Details of Jeevan Raksha Padak Series of Award received earlier, if any	:	Award: Year:

CITATION#

- # This should be in form of a write-up of about 200 words, giving complete details (sequence wise) of the life saving act clearly brining out the courage and promptude displayed by the rescurer and danger to his/her life under the circumstances. The deatils of injury, if any, suffered by the rescurer during the act may also be given. (Separate sheet to be attached).
- * The category of award recommended should invariably be mentioned.

Note: All columns must be completed in all respects failing which the application is liable to be rejected.

CERTIFICATES FOR RECOMMENDATION OF JEEVAN RAKSHA PADAK SERIES OFAWARDS

1.		er and antecedents of *ned that there is nothing adverse aga	
2.	Services etc.)	is a member and life saving act for which this eformed during the course of his/h	recommendation is
		Name & Designation of the Re	(Signature) ecommending Authority Date
	*Name of the recommende * Applicable only to member etc.)	ed person(s) rs of Uniformed Services (i.e Arm	y/Police/Fire Services

सं. 17/01/2020-पब्लिक

भारत सरकार गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांकः २९ अप्रैल, २०२०

सेवा में,

- सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
- सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासक
- 3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
- 4. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक
- महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल
- महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
- महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं होम गाईस

विषय:- जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रंखला-2020 के लिए संस्तुतियां।

महोदय/महोदया,

जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कार पानी में डूबने, दुर्घटनाओं, आग लगने की घटनाओं, बिजली का करंट लगने, भू-स्खलनों, जानवर द्वारा किए जाने वाले हमलों और खदानों में बचाव कार्य आदि जैसी घटनाओं में किसी व्यक्ति (यों) की जान बचाने में मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। जैसािक पुरस्कार के नाम से यह स्पष्ट होता है कि उक्त पुरस्कार, जान बचाने वाले व्यक्ति को, किसी का जीवन बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार निम्नतिखित तीन श्रेणियों के प्रदान किए जाते हैं:-

- i. सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक- यह पदक जान बचाने वाले व्यक्ति को, जीवन के प्रति अत्यंत गंभीर खतरे की परिस्थितियों के बीच जाकर जान बचाने में उत्कृष्ट कोटि के साहस का परिचय देने के लिए प्रदान किया जाता है।
- II. उत्तम जीवन रक्षा पदक- यह पदक जान बचाने वाले व्यक्ति को जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परिस्थितियाँ के बीच जाकर जान बचाने में उसके द्वारा साहस और तत्परता का परिचय देने के लिए प्रदान किया जाता है।
- iii. जीवन रक्षा पदक- यह पदक, जान बचाने वाले व्यक्ति को गंभीर रूप से शारीरिक घोट लगने की परिस्थितियाँ के बीच जाकर जान बचाने में साहस और तत्परता का परिचय देने के लिए प्रदान किया जाता है।

3. गृह मंत्रालय इन पुरस्कारों के लिए प्रत्येक वर्ष सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र-प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से सिफारिशें आमंत्रित करता है। इन सिफारिशों की जांच एक उच्च स्तरीय पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है, जो अपनी सिफारिशें प्रधान मंत्री एवं राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है।

4. राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात्, पुरस्कार प्राप्तकर्ता के विषय में पुरस्कार-अलंकरण अर्थात् वित्तीय भत्ते के चेक सहित पदक और प्रमाण-पत्र संबंधित संस्तुतकर्ता प्राधिकारियों के पास भेज दिए जाते हैं।

5. पिछले कुछ वर्षों से यह देखा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, चरमपंथियों के हमलों, इबने/आग की घटनाओं आदि के दौरान लोगों द्वारा जान बचाए जाने के विभिन्न कृत्यों की सूचनाएं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दी जाती हैं। तथापि, इस प्रकार के साहसी एवं पराक्रमी कृत्य जिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार के तहत् होते हैं, उनके द्वारा समुचित नामांकन न हो पाने के कारण उपेक्षित रह जाते हैं। आप इस बात को समझेंगे कि पुरस्कार और अलंकरण (पदक) किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सेवाओं के मान्यतास्वरूप मूर्त-प्रतीक हैं। ऐसे पुरस्कार, जरूरत पड़ने पर सदृश कार्रवाई के लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देते हैं। संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस मंत्रालय के विचारार्थ उपयुक्त एवं पात्र नामांकन भेजें।

6. पुरस्कारों के लिए संस्तुतियां संलग्न संशोधित प्रपत्र (अनुलग्नक-।) में अग्रेषित की जानी होती हैं। जैसा कि आप इस प्रपत्र में नोटिस करेंगे, कि प्रत्येक मामले में, जीवन-वृत के अतिरिक्त, व्यक्ति (जान बचाने वाले व्यक्ति) की विशिष्ट भूमिका/योगदान के साथ-साथ स्पष्ट रूप से उस घटना का क्रमवार विवरण देते हुए वर्णनात्मक रूप में एक प्रशास्ति-पत्र अग्रेषित किया जाना होता है। प्रत्येक मामलें में, संग्लन संशोधित प्रपत्र (अनुलग्नक-।।) में एक चरित्र एवं पूर्ववृतों का सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र भी भेजना अपेक्षित है। यह भी नोट किया जाए कि इन पुरस्कार की संस्तुतियों पर, पुरस्कार समिति द्वारा पराक्रमी कृत्य के निष्पादन तारीख से दो वर्षों की अविध के अन्दर विचार किया जाता है। इसलिए, वर्ष 2020 के लिए कोई भी सिफारिश, जिसमें संबंधित कृत्य के निष्पादन की तारीख 01 अक्तूबर, 2018 से पहले की हो, इस मंत्रालय के विचारार्थ अग्रेषित नहीं की जानी चाहिए।

7. जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कारों की संस्तुतियों को गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए ऑनलाइन पोर्टल (URL:www.jrp.mha.gov.in) के द्वारा भी भेजा जा सकता है। इन संस्तुतियों में, वर्णनात्मक प्रारूप में एक प्रशास्ति-पत्र (अधिकतम 200 शब्द) के सिहत उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट में विनिर्दिष्ट समस्त प्रासंगिक विवरणों को, घटना के क्रमवार ब्योरे के साथ-साथ व्यक्ति (जान बचाने वाले व्यक्ति) की विशिष्ट भूमिका/योगदान का स्पष्ट उल्लेख करते हुए समाहित किया जाना चाहिए।

- 8. सिफारिशकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मोहर लगा हुआ एक चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रमाणपत्र स्कैन किया जाए तथा इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाए। किसी व्यक्ति की ऑनलाइन सिफारिश करते समय कृपया यह सुनिश्चित कर लें, कि सिफारिश करने वाले व्यक्ति कि हिन्दी में नाम सहित समस्त आवश्यक ब्योरा सही ढंग से भरा गया है। संस्तुत किए गए व्यक्ति का नाम गूगल हिन्दी ट्रांसलेटर का उपयोग करके हिन्दी में किया जा सकता है।
- 9. इस बात को नोट किया जाए कि वर्ष 2020 के लिए जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कारों की सिफारिश हरहाल में 30 सितम्बर, 2020 तक भेज दी जाएं। ऑनलाइन संस्तुतियों के लिए प्रत्येक सिफारिशकर्ता प्राधिकारी का यूजर आई.डी. और पासवर्ड मृजित किया जाएगा। अतः, आपसे अनुरोध है कि ईमेल के जरिए अपना लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपने सरकारी ईमेल आई.डी. से sopub@.nic.in पर एक ईमेल भेजें। तथापि, ऐसे संस्तुतकर्ता प्राधिकारी, जिनके पास पहले से ही लॉगइन आई.डी. और पासवर्ड हैं, वे वर्ष 2020 के लिए ऑनलाइन सिफारिश भेजते समय उसी लॉगइन आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

्रीपक कुमार) (दीपक कुमार) अवर सचिव, (पब्लिक) दूरभाष:23092421

जीवन रक्षा पदक श्रंखला के पुरस्कारों की संस्तुति के लिए प्रोफार्मा

l.	प्रा नाम अंग्रेजी में (ब्लॉक अक्षरों में)	:	
2.	पूरा नाम हिंदी में (अनिवार्य)	:	
3.	पिता / पित / अभिभावक का नाम		
4.	जन्म तिथि / आयु	:	
5.	लिंग	:	
6.	डाक का पूरा पता (फोन नंबर आदि के साथ)	:	
7.	क्या सिफारिश मरणोपरांत पुरस्कार के लिए है?	:	हाँ / नही
8.	निकटतम परिजन का नाम एवं मृत व्यक्ति के	:	
	साथ संबंध (मरणोपरांत पुरस्कार के मामले में)		
9.	घटना की तारीख	:	
	नोट: 01/10/2018 से से पूर्व की घटनाओं पर		
	विचार नहीं किया जायेगा		,
10.	जीवन रक्षा कार्य के दौरान बचाये गए व्यक्तियों की संख्या		
11.	क्या अनुशंसित व्यक्ति वर्दीधारी सेवाओं (सशस्त्र		
	बलाँ, पुतिस बलाँ और मान्यता प्राप्त अग्निशमन		
	सेवाओं आदि) का सदस्य हैं?		
12.	यदि हों, तो क्या जीवन रक्षक कार्य इयूटी के दौरान	;	
	किया गया था या अन्यथा?		
	विषया गया या या जन्यया/		

प्रशस्ति पत्र

यह जीवन रक्षक कार्यों का पूरा विवरण (अनुक्रम वार) लगभग 200 शब्दों के राइटअप के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए जिसमे बचावकर्ता द्वारा प्रदर्शित शौर्य एवं तत्परता का तथा उन परिस्थितियों में उसके जीवन पर आये खतरे का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, जीवन रक्षक कार्य के दौरान अगर बचावकर्ता को कोई चोट आदि आई हो तो उसका भी उल्लेख किया जाए। (अलग शीट संलग्न की जाए)।

* अनुशंसित पुरस्कार की श्रेणी को अनिवार्य रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए नोट: सभी columns को सभी मामलों में पूरा किया जाना आवश्यक है अन्यथा आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

12 क्या जीवन रक्षक कार्य एक व्यक्तिगत प्रयास था या एक टीम वर्क? 14 हाँ / नही क्या जीवन रक्षक कार्य के दौरान बचावकर्ता को कोई चोट लगी थी? 15 यदि हाँ, तो बचावकर्ता को लगी चोट का विवरण? 16. पुरस्कार की सिफारिश* सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक / उत्तम जीवन रक्षा पदक । जीवन रक्षा पदक 17. क्या सम्बंधित व्यक्ति को कोई अन्य पुरस्कार दिया गया है या किसी अन्य पुरस्कार के लिए उसका नाम विचाराधीन है या किसी अन्य पुरस्कार के लिए वह पात्र है? कृपया विवरण दें, यदि कोई हो। पुरस्कार : पहले प्राप्त किये गए जीवन रक्षा पदक श्रंखला पुरस्कार का विवरण, यदि कोई हो वर्ष :

प्रशस्ति पत्र

यह जीवन रक्षक कार्यों का पूरा विवरण (अनुक्रम वार) लगभग 200 शब्दों के राइटअप के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए जिसमें बचावकर्ता द्वारा प्रदर्शित शौर्य एवं तत्परता का तथा उन परिस्थितियों में उसके जीवन पर आये खतरे का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, जीवन रक्षक कार्य के दौरान अगर बचावकर्ता को कोई चोट आदि आई हो तो उसका भी उल्लेख किया जाए । (अलग शीट सलग्न की जाए)।

" अनुशंसित पुरस्कार की श्रेणी को अनिवार्य रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए नोट: सभी columns को सभी मामलों में पूरा किया जाना आवश्यक है अन्यथा आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।